



15/1/26 को पेश हो ।


उपस्थित अधिकारी एवं
उपस्थित अधिकारी, इंगला

15/1/2026 पत्रावली पेशा हुई। वकील प्राचीया उपस्थित। प्राचीया
रख्य भी उपस्थित हुई। वकील प्राचीया को एवं वकील
प्राचीया को सुना गया। तहसीलदार इंगला से प्राप्त
इई रिपोर्ट जवाब को शामिल पत्रावली लिया गया।
तहसीलदार इंगला ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत
कराया गया कि छारा मीणा की एक पुत्री है
जिसका नाम बगहीबाई व कविता के नाम से
जानते हैं। तथा बगहीबाई व कविता अलग-अलग
बेकर एक ही है रिपोर्ट में अंकित किया गया है।
तहसीलदार इंगला से प्राप्त रिपोर्ट का एवं पत्रावली
का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया
बाद अवलोकन पाया गया कि प्राचीया का राजस्व
रेकार्ड नवल जमावदी में बगहीबाई पुत्री छारा
मीणा दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली के साथ संलग्न
रेशन कार्ड जनआधार कार्ड, आधार कार्ड मरदादा
पहचान पत्र में कविता दर्ज है। राजस्व रेकार्ड एवं



अलग-अलग नाम दर्ज होने बिना ही गई है। इस
प्राची को सुना गया। वहीं प्राची ने बगदीवाड़ के
बजाय कविता राजरव रेकार्ड में डिकन करने हेतु
ठिकेन किया गया है। तब अलग-अलग नाम दर्ज
होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इसलिए भी शुरु किया जाना आवश्यक बताया गया
है। इसलिए प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 136
एल अर एक्ट का स्विकार किया जाना अप्रामाणिक है।
अतः प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल अर
एक्ट का स्विकार किया जाना है। तब राम पालोड के
खतासं 636 में वर्ष 1977 अक्टूबर 14 में अंकित
बगदीवाड़ के बजाय कविता रज किया जाना का आदेश
दिया जाता है। आदेश पुस्तक से तैयार किया जाकर सम्बन्धित
पत्रावली किया गया। आदेश की मूले वालनार्थ तहसीलदार
डूंगला को भेजी जावे। निम्न लिखता जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमा
की नम्बर से कम है।


15/01/26
उपस्थित अधिकारी एवं
उपस्थित मजिस्ट्रेट, डूंगला